

10/0/11)

आज पत्रावली मूल वाद के साथ न्याय आपने वर
कैम्प बिजौली पर पेश हुई। प्रि. पत्र 212 RA 11th
में आपल के पक्ष में सुविधा असातुलन की
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः पत्रावली
इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार टोकर नम्बर से कां की जाकर
मूल वाद के साथ काबिल इफत (थे)



उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज